

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्रांक...../

पटना, दिनांक.....

सं०सं० ०३/३०नि०/ (विद्युत बैठक) पत्राचार-०७/२००६(अध-१)

प्रेषक :-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,  
सभी जिला उद्योग केन्द्र, बिहार।

विषय :- दिनांक 18.02.2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-18.02.2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे विभागीय सभागार में आहूत की गयी है। उक्त बैठक में सभी विभागीय योजनाओं की समीक्षा की जायगी। (एजेण्डा की छायाप्रति संलग्न)

अतः निदेशित किया जाता है कि सभी विभागीय योजनाओं से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन एवं गत बैठक के अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ससमय बैठक में भाग लेना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०:-यथाउपरोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :-निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय/तकनीकी विकास निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :-राज्य निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग वेटनरी कॉलेज, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, गाँधी मैदान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 809

पटना, दिनांक 6.2.19

प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उद्योग निदेशक के निजी सहायक/उप सचिव, उद्योग विभाग/अवर सचिव उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप सचिव उद्योग विभाग से अनुरोध है कि बैठक हेतु विभागीय सभागार आरक्षित करने की कृपा की जाय। आईटी0मैनेजर, उद्योग विभाग, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित के ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

दिनांक 18.02.2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित  
विभागीय योजनाओं की राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक हेतु  
एजेंडा:-

उद्योग निदेशालय :-

1. औद्योगिक इकाईयों का सर्वे।
2. अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाईयों का भौतिक सत्यापन।
3. भूमि की अद्यतन स्थिति (प्रतिवेदन सहित)।
4. उद्योग विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का जिला उद्योग केन्द्र में विलय (Merger)।
5. जिला उद्योग केन्द्रों का आधुनिकीकरण।
6. कलस्टर विकास योजना की समीक्षा।
7. पी0एम0ई0जी0पी0 की समीक्षा।
8. SIPB की समीक्षा।
9. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना की समीक्षा।
10. कार्यालयों में अनुपयोगी सामानों/वाहनों की नीलामी के संबंध में।
11. जिला स्तर पर खादी, हैण्डलूम एवं अन्य उत्पादों के बिक्री हेतु शोरूम खोलने के संबंध में।
12. “बनो उद्यमी” अभियान।
13. स्टार्ट-अप योजना।
14. हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय की समीक्षा।
15. अन्य।